

CBDT ने कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से आयकर रिटर्न (ITR-7) के लिए नया फॉर्म अधिसूचित किया है।

नये आयकर रिटर्न (ITR-7) के अन्तर्गत नई आवश्यकताओं में से एक “अनुसूची IE-1” है जिसमें उन संस्थाओं को शामिल किया गया है जिन्हें आयकर रिटर्न जमा करने से छुट दी गई थी।

“अनुसूची IE-1” उन संस्थाओं की आय और व्यय विवरण की रिपोर्टिंग के लिए है जिन्हें छुट प्राप्त है और जिन्हें पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत अपनी आय को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

यह अनुसूची अब उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनकी आय धारा 10(46A) और 10(46B) के अन्तर्गत छूट के लिए योग्य है, जिन्हें वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा पेश किया गया था।

क्या आप जानते हैं ?



नये ITR-7 फॉर्म में कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से “अनुसूची IE-1” में उन संस्थाओं को शामिल किया गया है जिन्हें आयकर रिटर्न जमा करने से छुट दी गई थी।